# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/पीएसपी/फीस विनियमन/19673/ 2017–18/219 दिनांकः 16/.04.18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त.....................

**विषयः**–राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 **नियम** 2017 **के प्रावधानो के** अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा फीस निर्धारण के संबंध में ।

**प्रसंगः**–पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 02.03.17, 06.11.17, 10.11.17 एवं 28.11.17 के क्रम में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 दिनांक 01 जुलाई 2016 से लागू किया गया तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम 2017 दिनांक 14 फरवरी 2017 से लागू किये गये है। इस क्रम में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किये गये थे।

समस्त गैर सरकारी निजी विद्यालयों में चाहे वे किसी भी बोर्ड से सम्बद्वता रखते है। अधिनियम की धारा–4 (ख) के अनुसार विद्यालय के मुखिया द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ के 30 दिवस के भीतर–भीतर माता–पिता अध्यापक संगम का गठन किया जाकर अधिनियम की धारा 4 ग के अनुसार माता–पिता अध्यापक संगम का गठन हो जाने के पश्चात विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जाना था। अधिनियम की धारा–6(2)(4) के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन पर प्रबन्ध वर्तमान शैक्षणिक वर्ष हेतु विद्यालय स्तरीय फीस समिति में से अनुमोदित फीस लागू करेंगे।

सभी निजी विद्यालयों में उक्त एक्ट के अनुसार माता–पिता एवं अभिभावक संगम गठित करते हुए विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन लॉटरी से कर उक्त फीस समिति द्वारा फीस का निर्धारण कर नोटिस बोर्ड चस्पा करते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति उपलब्ध करवाई जाकर निर्धारित फीस का विवरण प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर अपलोड किया जाना था।

ऐसा ध्यान मे आया है कि उक्त अधिनियम की पालना संबंधित विद्यालयों द्वारा सख्ती से नही की जा रही है। निजी विद्यालयों द्वारा उक्त अधिनियम की पालना नही करते हुए विद्यालयों में फीस अनियमित रूप से बढाई जा रही है। इस हेतु विद्यालयों की गत दस वर्ष की फीस का तुलनात्मक अध्ययन/जॉच उपरांत, निर्धारित फीस के क्रम में गठित माता–पिता अध्यापक संगम द्वारा प्रस्तावित फीस का अनुमोदन किया जावें। अभी तक इस क्रम में कार्यवाही सम्पादित नही करने की स्थिति में विधालय की मान्यता समाप्ति हेतु कार्यवाही अमल में लाई जावें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में संचालित समस्त निजी विधालयों को इस हेतु पाबन्द करें एंव अनियमित फीस वृद्धि करने वाले विद्यालयों की तत्काल जॉच कर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु जॉच रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। इस काम में लापरवाही की स्थिति में उत्पन्न विपरीत स्थिति के लिये आप व्यक्तिगत उत्तरदायी होगें।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1.समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा..........................को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि राज्य मे संचालित समस्त निजी विद्यालयों द्वारा इस अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु संबंधितों को पाबन्द करावें एवं व्यक्तिगत रूप से इस कार्य की मोनेटरिंग कर तत्काल सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

2.सभी सचिव/संस्था प्रधान गैर–सरकारी विद्यालय को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु माध्यम राज्य समन्वयक पी.एस. पी. पोर्टल सेण्ट्रल सेल शिक्षा संकुल जयपुर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर